

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियलस जज

25-10-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैरप ग्राम भगवानपुरा में पेश हुई पटवार
हैल्का पटवारी भगवानपुरा द्वारा मांका विपटि
पेश हुई जिले शामिल पत्रावली किया गया
प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
विर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर
अम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा लक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

दस्ता संख्या :- 30/21

श्री बरदुगिरी सोमनाथुगिरी शुभाई विधासी - भागानपुरा तहसील, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान

बनाम

श्री बरदुगिरी सोमनाथुगिरी शुभाई विधासी - भागानपुरा तहसील, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम..... भागानपुरापटवार हल्का.....भागानपुरा.....तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं.....4535.....कुल किता01.....0-9991.....हेक्टेयर.....-.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते स्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....11-2-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को किनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का गरी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेंवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भागानपुरा.....हल्का.....भागानपुरा.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....4535.....कुल किता01.....रकबा.....0-9991.....हेक्टेयर.....-.....के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....भागानपुरा.....को500/-.....कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

नपि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की 2021

रपालनारिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

पत्थरगद्दी का आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।